# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21905120181220

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ------------2------------ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो। | | | | | | | |
| 00052 | डी.के.एस.शिक्षा प्रचार समिति / . / .<br>पंचशील कालोनी मेरठ द्वारा / . / .<br>धर्मेन्द्र कुमार शर्मा / बनारसी दास शर्मा / 65/418पंचशील कालोनी मेरठ<br>आदित्य शिक्षा व संस्कार / . / .<br>प्रसार समिति, जाटान / . / .<br>लिसाडी गेट मेरठ द्वारा / . / .<br>अध्यक्ष राकेश कुमार पुत्र / . / .<br>गिरवर सिंह / . / .<br>उपाध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला / . / .<br>पत्नि महेन्द्र सिंह / . / .<br>प्रबन्धक श्री अशोक कुमार / . / .<br>सैनी एडवोकेट पुत्र गिरवर / . / .<br>सिंह व उपप्रबन्धक / . / .<br>राजकुमार पुत्र गिरवर सिंह / . / .<br>निवासीगण ग्राम लिसाडी गेट / . / .<br>परगना व तहसील जिला / . / .<br>मेरठ / . / . | 1414 | 227 | 1.3540 | | 1421फ न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 253/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति, द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 669/ आर0ए0/परवाना/2013 दिनांक 29-08-2013<br><br>-परवाना अमलदरामद- उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-08-2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है- ग्राम सरायकाजी स्थित भूमि खाता स0 00072 के खसरा स0 227 रकबा 1.3540हे0 में से 0.6768 हे0 भूमि लगानी परतानुसार तथा खाता स0 00073<br><br>के खसरा स0 228/1/1 रकबा 0.4300हे0, लगानी 12.95/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 20-08-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं<br><br>यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें/ प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते है, जो इस पर पूर्णत: लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं | |

कम्प्यूटर कक्ष तहसील मेरठ



11-12-2018 12:06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | महेन्द्र सिंह / गिरवर सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ<br>राकेश कुमार / गिरवर सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ<br>राजकुमार / गिरवर सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ<br>आदित्य सैनी / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ<br>ऋषभ सैनी / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ<br>राजरानी सैनी पत्नि / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ<br>अरविन्द / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ<br>अश्वनी / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ<br>अनुज / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ<br>अमित / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ | | | | | करेगा। यदि मेरठ विकास<br><br>प्राधिक रण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वत: ही निरस्त हो जायेगा। ह0अ0(अरविन्द कुमार मिश्र) उप जिलाधिकारी, मेरठ। ह0 र0का0 5-9-13<br><br>1425फ० न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 32/2017 धारा 32/38 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 आदित्य शिक्षा व संस्कार प्रसार समिति बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 621/आर०ए०/परवाना अमलदरामद/2017 दिनांक 13-07-2017 उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08-07-2017 को निम्न आदेश पारित किये गये है:- स्थित ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 227 रकबा 1.3540 है० से अरविन्द, अश्वनी, अनुज, अमित पुत्रगण गिरधारी निवासीगण 119 गांधीनगर मेरठ के नाम की प्रविष्टि समाप्त कर खतौनी को दुरुस्त किया जाता है। ह० (संतोष बहादुर सिंह) उप जिलाधिकारी, मेरठ/1191-A/17-7-17/C- 20-7-17 | |
| | | | 1 | 1.3540 | ₹40.75 | 6 | 0 |

कुल गाटे- एक    कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव तीन पाँच चार शून्य (हेक्टेयर)    कुल भू-राजस्व - चार शून्य दशमलव सात पाँच रुपये

**Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH**

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI
तहसील: सदर  जनपद: मेरठ
दिनांक एवं समय: 11-12-2018 12:06:35

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21905120181221

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनीक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ----------------2---------------- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो। | | | | | | | |
| 00053 | डी0के0एस0शिक्षा प्रसार समिति / . / .<br>रजि0 3211 दि0 31.3.93 / . / .<br>मेरठ द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार / . / .<br>शर्मा पुत्र बी0डी0शर्मा नि065/4 / . / .<br>गली-8 पंचशील कालोनी मेरठ / . / . | 1412 | 228/1/1 | 0.4300 | | 1421फ न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 253/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति, द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 669/आर0ए0/ परवाना/2013 दिनांक 29-08-2013<br><br>-परवाना अमलदरामद- उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-08-2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है- ग्राम सरायकाजी स्थित भूमि खाता स0 00072 के खसरा स0 227 रकबा 1.3540हे0 में से 0.6768हे0 भूमि लगानी परतानुसार तथा खाता स0 00073 के खसरा<br><br>स0 228/1/1 रकबा 0.4300हे0, लगानी 12.95/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 20-08-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा<br><br>मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते है, जो इस पर पूर्णत: लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नही करेगा। यदि मेरठ विकास | |

कम्प्यूटर केन्द्र तहसील सदर मेरठ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | प्राधिक रण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वत: ही निरस्त हो जायेगा। ह0अ0(अरविन्द कुमार मिश्र) उप जिलाधिकारी, मेरठ। ह0 र0का0 5-9-13 | |
| | | | 1 | 0.4300 | ₹ 12.95 | 5 | 0 |

कुल गाटे- एक   कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव चार तीन शून्य शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - एक दो दशमलव नौ पाँच रुपये

**Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH**

सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर  जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 11-12-2018 12:07:28

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21905120181226

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ----------------------------------2---------------------------------- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो। | | | | | | | |
| 00016 | अबिद अली / एजाजुद्दीन / 55,तोपचीवाडा मेरठ<br>अब्दुलवहाव / एजाजुद्दीन / 55,तोपचीवाडा मेरठ<br>साजिद / एजाजुद्दीन / 55,तोपचीवाडा, मेरठ | 1386 | 226 | 1.0560 | | 1425फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार चतुर्थ मेरठ वाद सं० T201711522012668/02-8-17 को आदेश हुआ कि ग्राम सरायकाजी परगना मेरठ के खाता सं० 16 के गाटा संख्या 226/1.0560 है० भू॰ 45.95 रु० के अपने भाग मे से क्षे० 0.3520 है० से विक्रेतागण आबिद अली व अब्दुल वहाब पुत्रगण ऐजाजुद्दीन नि०गण 55 तोपचीवाडा मेरठ शहर के नाम निरस्त करके क्रेता डी०के०एस० शिक्षा प्रसार समिति पंजीकृत कार्यालय पंचशील कालोनी गढ़ रोड मेरठ द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बनारसी दास शर्मा नि० 65/4/8 पंचशील कालोनी मेरठ शहर का नाम बजरिये विक्रयपत्र दिनांक 13-06-2017 बतौर संक्रमणीय भूमिधर अभिलेख मे दर्ज होवे। ह०अ० नायब तहसीलदार चतुर्थ मेरठ 2-8-17/C-5-8-17 | |
| | | | 1 | 1.0560 | ₹45.95 | 1 | 0 |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव शून्य पाँच छ: शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार पाँच दशमलव नौ पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 14-12-2018 10:34:12

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है

कम्प्यूटर केन्द्र तहसील मेरठ

11498 (10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239041

DINESH KUMAR
Advocate, Meerut

DINESH KUMAR
Advocate, Meerut

लीज डीड

हम कि डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति द्वारा सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री बनारसीदास शर्मा निवासी 65/4/8, पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ शहर————————————————प्रथम पक्ष।।

एवम्

बी0डी0एस0 स्कूल ऑफ लॉ स्थित सैक्टर–8, जागृति विहार, (मैडिकल कॉलिज के सामने) गढ़ रोड, मेरठ द्वारा चेयरमैन श्री डी0के0 शर्मा पुत्र श्री बी0डी0 शर्मा————————————————द्वितीय पक्ष।।

जो कि भूमि खसरा संख्या 228/1/1 क्षेत्रफल 4300 वर्ग मीटर व खसरा संख्या 227 क्षेत्रफल 1.354 एक दशमलव तीन पांच चार हैक्टेयर का 1/2 भाग 0.6770 हैक्टेयर यानि कुल क्षेत्रफल लगभग 12000 वर्ग मीटर स्थित

(11)

भारत

Rs.20

₹.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02AA 4[illegible]3704

ग्राम सराय काजी परगना व तहसील व जिला मेरठ वर्तमान में जागृति विहार, गढ़ रोड, मेरठ जो कि नगर निगम मेरठ की सीमा क्षेत्र में है, के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी व वास्तविक कब्जा अधिकारी है, में से प्रथम पक्ष ने 1200 वर्ग मीटर भूमि द्वितीय पक्ष बी0डी0एस0 स्कूल आफ लॉ (तृतीय वर्ष) को शिक्षा के प्रयोजन हेतु एल0एल0बी पाठयक्रम के संचालन करने के लिए पूर्व में प्रदान कर दी थी तथा 3800 वर्ग मीटर भूमि मानकनुसार कुल 5000 वर्ग मीटर भूमि उपरोक्त पाठयक्रम तृतीय एवं पांच वर्षीय का संचालन करने के लिए प्रदान कर दी है।

यह कि इस उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 227 व सम्मिलित 228/1/1 में एक भवन दो मंजिला बना हुआ है जिसका नव निर्मित आच्छादित क्षेत्रफल 16000 वर्ग फिट है, जो कि समस्त संसाधनों एवं फर्नीचर आदि से सुसज्जित है।

यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति को जो कि विलेख की धारा एक व दो में वर्णित है, को द्वितीय पक्षक ो एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष व पंच वर्षीय पाठय क्रम के संचालन करने हेतु 850/– आठ सौ पचास रूपये सालाना लीज पर द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया है।

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

रु. 20 Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 403705

- 3 -

1. इस लीज की अवधि तीस वर्ष है जो दिनांक 01.08.2006 से शुरू है। जोकि सालाना आधार पर है तथा दिनांक 31.07.2036 तक कायम रहेगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति का स्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष उपसेक्त सम्पत्ति को केवल एल0एल0बी0 पाठयक्रमों के संचालन कार्य हेतु प्रयोग में लाने के अधिकारी रहेंगे। इनके इस अधिकार में प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अंकन 850/— आठ सौ पचास रूपये प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष की प्रथम माह में चैक द्वारा अथवा नकद अदा करते रहेगे तथा उसकी रसीद प्राप्त करते रहेंगे बिना रसीद कोई किराया मान्य नहीं होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को केवल शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए प्रयोग में ला सकेंगे तथा इसमें आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य प्रथम पक्ष की अनुमति से करने के अधिकारी होंगे।
5. यह कि रंगाई पुताई आदि का समस्त खर्च द्वितीय पक्ष वहन करेगा तथा गृहकर सम्बन्धी खर्चा प्रथम पक्ष वहन करेगा।

(13)

भारत

Rs.20

20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 403706

6. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष अपने नाम विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे तथा उससे सम्बन्धित विद्युत उपयोग का भुगतान स्वयं द्वितीय पक्ष करेंगे किसी भी विद्युत बिल के बकाया की अदायेगी का वास्ता प्रथम पक्ष से नहीं होगा।
7. यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त भवन में कथित शिक्षा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं करेंगे। प्रथम पक्ष अथवा उनकी उपरोक्त सम्पत्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
8. यह कि उपरोक्त नियमों के उभय पक्ष पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। अतः यह लीज डीडी अवधि तीस वर्ष लिख दी कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे।फकत।।

सीमाये उपरोक्त सम्पत्ति

| | | |
|---|---|---|
| पूरब | : | कॉलोनी, सोमदत्त विहार। |
| पश्चिम | : | सड़क आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश। |
| उत्तर | : | खाली भूमि व भवन बी0डी0एस0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट। |
| दक्षिण | : | भूमि समिति। |

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

Rs.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 403707

*रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट*

प्रथम पक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

(15)

भारत

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

: : 6 : :

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 403708

*रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट*

द्वितीय पक्ष श्री डी0के0 शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

Manoj Kumar Sharma
Advocate Meerut
Regd. No. 8627/2000

DINESH KUMAR
Advocate, Meerut

लिखित तिथि : 06.12.2007 ई0 मसविदा श्री दिनेश कुमार, एडवोकेट, मेरठ।।

D... ...AR
Advocate, Meeru.

संलग्नक-4

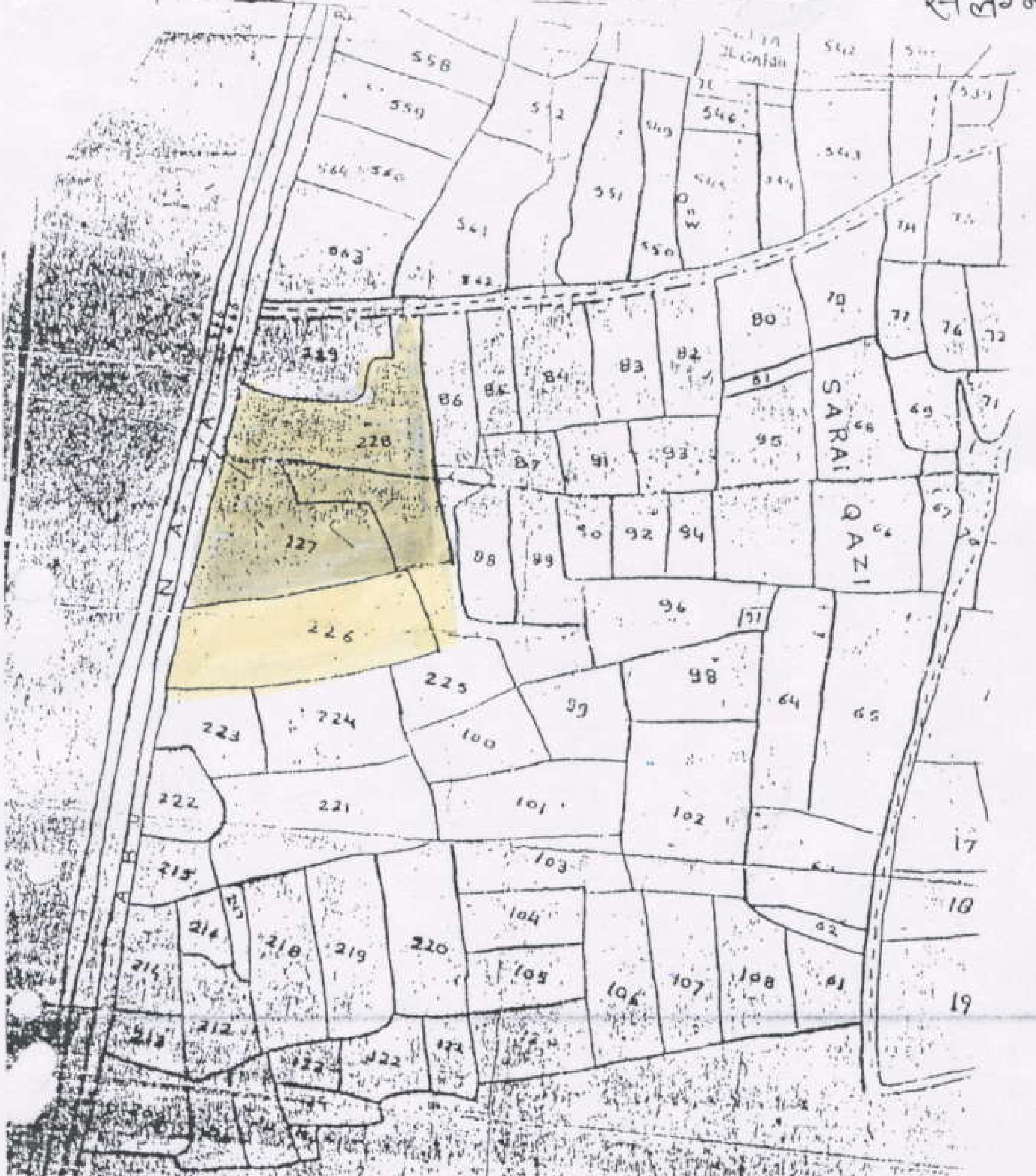


योजना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि

NOTARY